

**प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 573 सन 2021

अनवान :-

1. अमीलाल पुत्र छोटूराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लिछमण पुत्र छोटूराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
3. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
4. अमरसिंह पुत्र पदमाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
5. शिशपाल पुत्र पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर

**वादीगण**

**बनाम**

1. बुधराम पुत्र पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश पुत्र स्व सुखराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. चन्दुभीम पुत्र स्व सुखराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सन्तरो पत्नी स्व सुखलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मगल पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राधा पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सजना पत्नी रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. चन्दो पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. इन्द्रा पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. पाना पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सन्तोष पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. तीजादेवी पत्नी स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. बिमला पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. बिदामा पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. प्रमेश्वरी पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. कमला पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. शान्ति पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. गोपीराम पुत्र स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. सांवरमल पुत्र स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. सरबती पुत्री स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. रोशनी पुत्री स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. सरबती पुत्री प्रार्वती जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज


**निर्णय दिनांक :- 20.10.2021**

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 91/88 की कुल 4.5540 हेक्ठर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लेखूराम वल्द मोतीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लेखूराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान के नाम विरास्तन पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती जो वादी पूर्वज है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लूखूराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 18 ,21 ता 23 वादी की बहने है एवं पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**नोहर**

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजो पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 18 ,21 ता 23 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 91/88 की कुल 4.5540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि लखुराम वल्द मोतीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लखुराम वल्द मोतीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा लखुराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 18 ,21 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 91/88 की कुल 4.5540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज है दर्ज है का नाम कलमजन

किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 19 ,20 बहिब 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 5 अकेला 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपरखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा.



सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अमीलाल पुत्र छोटूराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लिछमण पुत्र छोटूराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
3. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
4. अमरसिंह पुत्र पदमाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
5. शिशपाल पुत्र पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

- 1 बुधराम पुत्र पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 मुकेश पुत्र स्व सुखराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3 चन्दुभीम पुत्र स्व सुखराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 सन्तरो पत्नी स्व सुखलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 5 मगल पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6 महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 राधा पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 8 सजना पत्नी रामलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 9 चन्दो पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10 इन्द्रा पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11 पाना पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 12 सन्तोष पुत्री पूर्ण जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 13 तीजादेवी पत्नी स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 14 बिमला पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 15 बिदामा पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 16 प्रमेश्वरी पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 17 कमला पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 18 शान्ति पुत्री स्व पदमा जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 19 गोपीराम पुत्र स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 20 सांवरमल पुत्र स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 21 सरबती पुत्री स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 22 रोशनी पुत्री स्व महावीर जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 23 सरबती पुत्री प्रार्वती जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 24 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 573 सन 2021 निर्णय दिनांक-20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 91/88 की कुल 4.5540 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पूर्ण, पदमा, छिनादेवी, अमीलाल, लिछमण पार्वती के नाम से दर्ज है दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1, 2 बहिब 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 19, 20 बहिब 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 5 अकेला 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5, 6 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा